भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.674
06 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

एफपीआई में कोल्ड चेन में वृद्धि

674. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) को बढ़ावा देने की दृष्टि से कर्नाटक राज्य में कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अंब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना लागू कर रहा है। योजना का उद्देश्य गैर-बागवानी उत्पादों, डेयरी, मांस, पोल्ट्री और मरीन/मछली (झींगा को छोड़कर), फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए फार्म गेट से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला, परिरक्षण और मूल्य वर्धन अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है।

इस योजना की प्रकृति मांग आधारित है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र संस्थाओं में व्यक्तियों के साथ-साथ इकाई/संगठन जैसे किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियां, गैर-सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, फर्म, कंपनियां आदि शामिल हैं, जिनकी शीत श्रृंखला समाधानों में व्यावसायिक रुचि है तथा जो आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करते हैं।

योजना के घटक फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, प्रसंस्करण केंद्र, वितरण केंद्र, रेफ्रिजरेटेड वैन/रेफ्रिजरेटेड ट्रक/इंसुलेटेड वैन/मोबाइल इंसुलेटेड टैंकर हैं। यह योजना एक स्टैंडअलोन घटक के रूप में विकिरण सुविधा के निर्माण में भी सहायता करती है। यह योजना खेत स्तर पर शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।

योजना के अंतर्गत, एमओएफपीआई सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ और स्वयं सहायता समूह के अधीन परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक अनुदान सहायता प्रदान करता है। अब तक, एमओएफपीआई ने कर्नाटक राज्य में 0.39 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) परिरक्षण क्षमता और 8.14 एलएमटी प्रसंस्करण क्षमता प्रति वर्ष तैयार करने के लिए 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 1.14 लाख किसानों को लाभ होगा और 7200 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं ।

******